Directive Principles of State Policy

भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष इन्हे पथ-प्रदर्शक के रूप में रखा। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार "राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है।"

- समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है

Art. 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय सभी संस्थाओं के अन्तर्गत हो।

इसके अलावा Art. 39, 41, 42 43, 44. 46, 47 में भी राज्यों को निर्देश दिए गए है कि सभी नागरिक समान रूप से जीवन यापन करे, भौतिक संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व हो, धन का केन्द्रीकरण ना हो, लिंग भेद की समाप्ति, शोषण का रोकना, भौतिक व नैतिक परित्याग से रक्षा, बेरोजगारी के संरक्षण में सेवा नीति, नागरिकों का स्वास्थ्य सुधारने एवं मादक वस्तुओं पर प्रतिबन्ध इत्यादि करने सम्बन्धित कार्य करेगा।

- गाँधीवादी सिद्धान्त के अनुसार — Art. 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, Art 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, Art 48 - गौरक्षा, कृषि का वैज्ञानिकरण, Art 42 - पर्यावरण की देखभाल इत्यादि है।
- उदारवादी सिद्धान्त के अनुसार — Art 44 के अनुसार Uniform Civil Code, तथा 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, Art. 50 - राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखेगा, Art 51 अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि के लिए प्रयत्नशील होगा।
- सामान्य सिद्धान्त — राज्य ऐतिहासिक कलाकृतियों, स्मारकों इत्यादि की देखभाल करेगा।

किन्तु नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की गई है।
वैधानिक शक्ति का अभाव — अर्थात इन्हें न्यायालय में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। के. सी. व्हीयर ने इन्हें, उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं का घोषणापत्र कहा है।
अस्पष्ट तथा अनिश्चित — निर्देशक तत्वों में वर्णित बहुत से विषय अस्पष्ट तथा अनिश्चित हैं जैसे — समाजवादी सिद्धान्तों में मजदूरों तथा मालिकों के आपसी सम्बन्धों के बारे में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है।
राजनीतिज्ञों की स्वार्थ-सिद्धि — यह मात्र जनता को मूर्ख बनाने के लिए है
इनमें काम तथा शिक्षा, जैसे विश्राम जैसे अधिकार नहीं दिए गए हैं।
अव्यावहारिक — जैसे मद्यनिषेध की बात की गई है जो लागू नहीं हो सका।
— किन्तु इनके बावजूद इन सिद्धान्तों का महत्व भी है —
ये सत्तारूढ़ दल के लिए आचार संहिता का काम करते हैं। क्योंकि कोई भी सत्तारूढ़ दल हो वह अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं कर सकता है।
ये वास्तविक लोकतंत्र का विश्वास दिलाते हैं — आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र सम्भव नहीं है। यह निर्देशक तत्व हमें एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं जिसमें आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र का भी समावेश हो। ये सरकार की सफलता का मापदण्ड भी हैं।
ये उपयोगी नैतिक आदेश हैं।
ये सिद्धान्त भारतीय न्यायालयों के मार्गदर्शक हैं। अपने फैसलों में न्यायालयों ने इन्हें स्थान दिया है।
सीतलवाड के शब्दों में "राजनीति के इन मूलभूत सिद्धान्तों का वैधानिक प्रभाव न होते हुए भी इनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश-स्तम्भ का कार्य किया जाता है।"

निर्देशक सिद्धान्तों का क्रियान्वयन

सरकार ने इन नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने के बहुत प्रयास किये हैं—

- संविधान लागू होने के बाद से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी व कार्य के साधनों में वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय तथा लोगों के रहन-सहन का स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास किए गए हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी निधिभविष्य अधिनियम आदि द्वारा श्रमिक वर्ग एवं कर्मचारी बालकों की शोषण से रक्षा का कानून बनाये—
- छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया है तथा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था—
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास योजना
- निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था—
- आर्थिक समानता स्थापित करना तथा सामाजिक न्याय की स्थापना
- विदेश नीति में पंचशील को अपनाया गया है— इत्यादि—

निदेशक सिद्धान्त और मौलिक अधिकार में अन्तर—

- मौलिक अधिकार न्याय योग्य है पर निदेशक सिद्धान्त न्याय योग्य नहीं है
- मौलिक अधिकार राज्य को कुछ विशेष कार्य करने से रोकता है, जबकि निदेशक सिद्धान्त उसे कुछ कार्य करने का निर्देश देता है—
- मौलिक अधिकार के मुकाबले में निदेशक सिद्धान्त कम महत्वपूर्ण है।